



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 238 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—::आदेश::—

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-गणित

स.क्र.	वरि.क्र.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	237	श्री गौतम प्रसाद यादव	प्रा.शा. छाल	जशपुर

शर्तें:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शास्ति की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh, एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

पृ.क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 239 अटल नगर दिनांक 22/07/2025
प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
5. सहायक संचालक एम.आई.एस. कक्ष वेब साईड education portal पर संबंधितों के लिए अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी, इन्द्रावती भवन, अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ कृपया यह समाचार सभी जिलों में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित प्राचार्य शा.उ0मा0वि0/हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधित उ.श्रे.शि. माध्यमिक शाला एवं प्रधान पाठक प्राथ. शाला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।